न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या—04 / विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 ऐक्ट), गोण्डा।

विशेष वाद संख्या—235 / 2026

उपस्थितः— दानिश हसनैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा) आई.डी.नं0—यू0पी0—2727

लोक अदालत

उत्तर प्रदेश राज्य..**अभियोजन**

बनाम

तिलकराम दूबे पुत्र ठाकुर प्रसाद दूबे, निवासी ग्राम खानपुर, थाना तरबगंज, जिला गोण्डा।
..........................**अभियुक्त**

मु0अ0सं0—158 / 2023
धारा 135, भारतीय विद्युत अधिनियम
थाना एंटी पावर थेफ्ट, जिला गोण्डा।

निर्णय

पत्रावली लोक अदालत में निस्तारण हेतु पेश हुई। वादी मुकदमा संतोश कुमार पाल, (जे0ई0) गोण्डा द्वारा दिनांक 10.01.2023 की घटना के बावत मु0अ0सं0 158 / 2023 धारा 135 वि़द्युत अधिनियम थाना एंटीपावर थेफ्ट जिला गोण्डा के समक्ष अभियुक्त तिलकराम दूबे के विरूद्ध थानाध्यक्ष थाना एंटी पावर थेफ्ट पर दर्ज कराया गया और बाद विवेचना आरोप पत्र सम्बन्धित अभियुक्त के विरूद्ध धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम में प्रेषित किया गया।

अभियोजन कथानक संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनांक 10.01.2023 को समय 16.30 बजे अवर अभियंता संतोष कुमार पाल, मय हमराह विजय कुमार वर्मा उपखण्ड अधिकारी, अमित कुमार गौड़ टी0जी0—2, पंकज पाण्डेय वास्ते रोकथाम विद्युत चोरी वितरण खण्ड द्वितीय के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र तरबगंज के क्षेत्र ग्राम व पोस्ट खानपुर तरबगंज जनपद गोण्डा के क्षेत्र में चेकिंग किया जा रहा था जिसमें उपभोक्ता द्वारा निम्न प्रकार से विद्युत चोरी करते पाया गया—तिलकराम दूबे पुत्र ठाकुर प्रसाद दूबे, निवासी ग्राम खानपुर, थाना तरबगंज, जिला गोण्डा मोबाइल संयोजन संख्या डायरेक्त विद्युत चोरी भार विधा घरेलू चोरी का विवरण—तिलक राम दूबे द्वारा अपने परिसर के सामने से गुजर रही एल.टी. लाइन से दो कोर काले कलर की केबिल जोड़कर अपने परिसर में विद्युत उपभोग करते हुए चोरी की जा रही थी। अतः उपभोक्ता के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत वैधानिक कार्यवाही करने की कष्ट करे। बाद विवेचना आरोपपत्र उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम में प्रेषित किया गया। अभियुक्त को विचारण हेतु तलब किया गया। विचारण के दौरान अभियुक्त ने विभाग के समक्ष अपना समन शुल्क निश्चित कर दिया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) द्वारा प्रार्थना पत्र समाप्त किए जाने मुकदमा इस आशय का दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा विभाग में समन शुल्क एवं समस्त

Digitally signed by DANISH HASNAIN
Date: 2026.03.18 14:49:43 AEST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

देय का भुगतान कर दिया है तथा मुकदमा उपरोक्त की कार्यवाही समाप्त किए जाने की याचना की गई है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा समन शुल्क विभाग में जमा कर दिया गया है जिसके सम्बंध में विद्युत विभाग द्वारा प्रतिलिपि जमा रसीद दाखिल की गई है जिसके अनुसार अभियुक्त द्वारा समन शुल्क दिनांक 18.12.2026, 18.12.2026, 18.12.2026 को विभाग में जमा कर दिया गया है जिसके सम्बन्ध में सम्बिन्धित विभाग द्वारा पत्रांक 831/वि0वि0खं0 (द्वितीय)/गोण्डा दिनांक 10.03.2026 को आख्या भी प्रस्तुत की गयी है। अभियुक्त द्वारा निर्धारित समन शुल्क एवं समस्त देय का भुगतान करने के कारण वे आरोप अन्तर्गत धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम से उन्मोचित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त तिलकराम अवस्थी पुत्र ठाकुर प्रसाद अवस्थी को विशेष वाद संख्या 235/2026, मु0अ0सं0 158/2023, में अधिरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम से विद्युत अधिनियम की धारा 152 के प्रावधानों का लाभ प्रदान करते हुए वाद उपरोक्त की कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा अभियुक्त उपरोक्त को उन्मोचित किया जाता है।

(दानिश हसनैन)
J.O.Code-UP-2727
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 ऐक्ट),
गोण्डा।

दिनांक 14.03.2026